कारी नीति यह है कि जहां कहीं भी निविदाओं के उत्तर में बड़े उद्योग क्षेत्र के तथा लघु उद्योग क्षेत्र के एकक निरखनामे भेजते है, लघु एककों को प्रत्येक मामले में वास्तविक मात्रा पर अधिकतम 15 प्रतिशत तक जिसका निर्णय गुणावगुण के आधार पर होता है, उचित तथा युक्तियुक्त मूल्यों की अधिमानता प्रदान की जाती है। जहां एक ही प्रकार की वस्तुओं के बारे में सरकारी क्षेत्र के तथा लघु क्षेत्र के एकक प्रतियोगिता में मूल्य बताते हैं, सरकारी क्षेत्र के एककों की अपेक्षा लघु क्षेत्र को सामान्यतः मूल्यों में 5 प्रतिशत की अधिमानता देने की अनुमति है।

Fixation of rateable value of House in Ashok Nagar, New Delhi

7505. SHRI BHEEKHABHAI Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether basis of fixation of House Tax differs from year to year and depends on the cost of construction of the year in which it was built;

(b) the rateable value of houses in Block 30 to 69, Ashok Nagar, New Delhi alongwith their covered area and basis for re-opening of old cases; and

(c) whether the Municipal Corporation, Delhi is also proposing to give exemption to those house owners whose rateable value is less than Rs. 1200 as has been done by the New Delhi Municipal Committee?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI YOGENDRA MAKWANA): (a) The Municipal Corporation of Delhi has intimated that the standard rent of a property is computed on the amount of reasonable cost of construction and the market price of the land comprised in the premises on the date of the commencement of construction as provided under Section 6(2)(b) of the Delhi Rent Control Act, 1958. The House Tax is charged on the graduated scale of rate of tax as decided by the Corporation on year to year basis.

(b) The Municipal Corporation of Delhi has intimated that there are about 700 properties in Block No. 30 to 69, Ashok Nagar, New Delhi and there are variations in rateable value as also the carpet area of these properties. General objections to the assessment under Section 124 of the Delhi Municipal Corporation Act, 1957 are invited every year in the month of November and December. The objections received in response to public notices are considered by the Corporation and rateable values revised wherever necessary.

(c) No, Sir. The Corporation has reported that under Section 114(2) of the D.M.C. Act, 1957 lands and buildings of which the rateable value does not exceed Rs. 100 are, however, exempted from the payment of General Tax.

कागज की कमी

7507. श्री नवल किशोर शर्मा: क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान किस्म वार कितने कागज का उत्पादन किया गया ;

(ख) क्या सरकार को यह जानकारी है कि कच्चे माल की कमी के कारण उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कागज उत्पादकों को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है उन का कोई संभव समाधान नहीं है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार देश में उपलब्ध साधनों का उचित उपयोग करके कागज की कमी को दूर करने की स्थिति में है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने और उसे प्रोत्साहन देने के लिए इस को सुविधायें प्रदान करने पर विचार कर रही है यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं तो इस के क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बरजीत चानना) : (क): पिछले तीन वर्षों में हुए कागज का किस्म-वार उत्पादन नीचे दिया गया है :—

(लाख मी० टनों में)

कागज की किस्म	1978	1979	1980
लिखाई तथा छपाई का कागज	5.53	5.87	6.05
लपेटने का कागज	2.52	2.55	2.70
गत्ता	1.81	1.74	1.73
विशेष प्रकार का (स्पेशलिटी) कागज	0.20	0.31	0.32
योग :	10.06	10.47	10.80

(ख) और (ग). वनों पर आधारित कच्चे माल के इस्तेमाल से आने वाली रुकावटों को ध्यान में रखते हुए सरकार भूसे, खोई, रद्दी कागज आदि जैसे गौण कच्चेमाल के प्रयोग को बढ़ावा दे रही है जिनसे कागज के उत्पादन में वृद्धि होने की काफी संभावनाएं मौजूद हैं। इनके अतिरिक्त आयातित लुगदी तथा रद्दी कागज का भी घरेलू कच्चे माल के संसाधनों के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है।

(घ) तथा (ङ) : कागज उद्योग की कच्चेमाल की निरन्तर आवश्यकता पूरी करने की दृष्टि से यह आवश्यक है कि लुगदी वाले वृक्ष लगाकर उद्योग परक बनाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाए। कागज उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लुगदी वाले वृक्ष लगाने को प्रोत्साहित करने की संभावनाओं का अध्ययन करने हेतु एक कार्य-दल का गठन किया गया है।

Setting up of Mini Cement Plants

7508. SHRI A. K. ROY: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether he is aware of mini cement plants running profitably in the countries like China as a small scale industry using intermediate technology;

(b) whether such plants are also in operation in India or any programme is there in the Sixth Five Year Plan to start this in a big way;

(c) whether Government are aware of a new process developed in the Indian Institute of Technology, Kharagpur, West Bengal to make cement from paddy husk to boost up rural economy; and

(d) whether this has started commercial production in the country, specially as mini cement plant with facts in details?